

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1536 / 2008 / जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन राजस्थान वृत-प्रथम, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स एम. एस. एल. मार्केटिंग लिमिटेड,  
मीरा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ  
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी बावजूद अखबार प्रकाशन सूचना के अनुपस्थित

दिनांक : 02/11/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 58/आरएसटी/01-02/जी/2004-05 में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.09.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान, वृत-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 30, 65 व 58 के तहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.10.2001 से आरोपित कर रूपये 90,435/-, सरचार्ज रूपये 7,200/- व ब्याज रूपये 70,297/- की पुष्टि करते हुए, अधिनियम की धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति रूपये 1,95,270/- को अपास्त किया है। अतः शास्ति के बिन्दु पर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवसायी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 14.08.1998 को किया गया। सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि व्यवसायी द्वारा स्ट्राबेरी शेक, इलायची शेक, कॉफी शेक तथा बटर-स्कॉच शेक उत्पादों को प्लेवर्ड मिल्क के काल्पनिक नाम से करमुक्त वस्तु के रूप में विक्रय किया जा रहा है तथा विक्रय किये गये माल पर कर दायित्व घोषित नहीं करते हुये करापवंचन किया जा रहा है। वर्ष 1998-99 में ऐसी बिक्री रूपये 7,53,626/- पायी गयी। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिस पर व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब को अस्वीकार करते हुये उक्त उत्पादों पर 12 प्रतिशत की दर से करदेयता मानते हुए, कर रूपये

लगातार.....2



90,435/-, सरचार्ज रूपये 7,200/-, ब्याज रूपये 70,297/- एवं करापवचन मानते हुए धारा 65 के तहत शास्ति रूपये 1,95,270/- भी आरोपित की गयी। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28.09.2007 द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपित कर, सरचार्ज व ब्याज की पुष्टि करते हुए, धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति रूपये 1,95,270/- को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर शास्ति के बिन्दु पर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. बावजूद प्रकाशन प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए, राजस्व पक्ष की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप-राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिविरुद्ध है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमानुसार धारा 65 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया था, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गयी है। अतः कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए, विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उपलब्ध रेकॉर्ड देखा गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद करमुक्त श्रेणी में शुमार नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 12 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया है, जिसकी अपीलीय अधिकारी ने भी पुष्टि की है। इसी के साथ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करापवचन किया जाना अवधारित करते हुए अधिनियम की धारा 65 के तहत शास्ति का भी आरोपण किया गया है, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है। अतः अधिनियम की धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा समस्त संव्यवहार लेखा-पुस्तकों में इंद्राजित किया हुआ है, कोई भी संव्यवहार लेखा-पुस्तकों से छिपाया जाना प्रमाणित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त (2010) 26 टैक्स अपडेट 01 मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तामिलनाडू राज्य एवं अन्य में लेखा-पुस्तकों में बिक्री दर्ज होने पर करापवचन की मंशा में आरोपित शास्ति को अविधिक निर्णीत किया है।



6. अतः प्रस्तुत प्रकरण में भी प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा समस्त संब्यवहार का इन्द्राज लेखा-पुस्तकों में किये जाने के आधार पर, धारा 65 के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता। अतः इस सीमा तक अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।
7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन होने से अस्वीकार की जाती है।
8. निर्णय सुनाया गया।



( खेमराज )  
अध्यक्ष